आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-59/2021.........दिनांक-

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

सकारण आदेश

संवेदक, श्री अजय कुमार पटेल, पिता-स्व० रामअवतार सिंह, ग्राम-भभुआ, वार्ड नं०-06, भभुआ, कैमूर, बिहार, पिन-821101 द्वारा कैमूर जिलान्तर्गत भभुआ में जिला उत्पाद कार्यालय भवन के साथ बैरक, हाजत, मालखाना के साथ-साथ महिला उत्पाद सिपाहियों के प्रयोजनार्थ 10 बेडेड का महिला बैरक एवं चहारदीवारी के निर्माण कार्यके निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने के कारण मुख्य अभियंता(दक्षिण) के पत्रांक-857 दिनांक-10.08.2021 द्वारा संवेदक को दोषी मानते हुये बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गयी ।

दिनांक-09.09.2021 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इस मामले पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक से पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण पूछते हुए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित करने का निर्णय लिया गया । विभागीय पत्रांक-5468 दिनांक-16.09.2021 द्वारा संवेदक से स्पष्टीकरण पूछा गया। साथ ही विभागीय पत्रांक-5480 दिनांक-17.09.2021 द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से भी सूचित किया गया ।

दिनांक-08.10.2021 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इस मामले पर विचार किया गया तथा विचारोपरांत समिति द्वारा संवेदक से प्राप्त स्पष्टीकरण को अमान्य करते हुए उनके निबंधन को तीन वर्षो के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया । श्री अजय कुमार पटेल, पिता-स्व० रामअवतार सिंह, ग्राम-भभुआ, वार्ड नं०-06, भभुआ, कैमूर, बिहार, पिन-821101 के निबंधन सं०-PHED-413/2019 को विभागीय आदेश ज्ञापांक-6155 दिनांक-25.10.2021 के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से तीन वर्षों के लिये निलंबित किया गया ।

उक्त आदेश के विरूद्ध संवेदक द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक अपील आवेदन दिनांक-25.01.2023 को समर्पित किया गया ।अपील अभ्यावेदन के क्रम में दिनांक-31.03.2023 को सुनवाई हुई जिसमें संवेदक,श्री अजय कुमार पटेल उपस्थित हुए।

सुनवाई में संवेदक द्वारा स्वीकार किया गया कि उपर्युक्त वर्णित कार्य की निविदा में उनके कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा बिना उनकी जानकारी में गलत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया था । कागजातो के अवलोकन से स्पष्ट है कि सभी अपलोड कागजात पर उनके हस्ताक्षर अंकित है जिससे स्पष्ट है कि गलत अनुभव प्रमाणपत्र उनकी जानकारी में अपलोड किया गया है। ऐसी स्थिति में अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक-6155 दिनांक-25.10.2021 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखते हुए अपील आवेदन खारिज किया जाता है ।

ह0/-

(कुमार रवि)

सरकार के सचिव

Sec-13 Prakash

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-59/2021 पटना,दिनांक-

स्पीडपोस्ट

प्रतिलिपिः-संवेदक, श्री अजय कुमार पटेल, पिता-स्व० रामअवतार सिंह, ग्राम-भभुआ, वार्ड नं०-06, भभुआ, कैमूर द्वारा कैमूर, बिहार, पिन-821101 के निबंधन सं०-PHED-413/2019 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-59/2021........ पटना,दिनांक-

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित

ह0/-

सरकार के सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-59/2021 2928(भ)......... पटना,दिनांक- 6/4/23

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

Sec-13 Prakash